


19.04.23

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उपस्थित।

शुर्क में वादीगण द्वारा अपना वाद नोट प्रेंस किया  
जा चुका है। मता नोट प्रेंस के आधार पर वादीगण  
का यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर दफ्तर में  
निर्णय लिखा जाकर बुले-पापलप में

सुनाया गया।

  
(अमिता बिशनोई)

RAS  
महण्ड अधिकारी  
घड़साना